भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2103

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

प्रवेश परीक्षाओं में सुधार

†2103. श्री वी.के. श्रीकंदन:
श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार डॉ. के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार जनवरी, 2025 में शुरू होने वाले नए चक्र से पहले एनटीए और प्रवेश परीक्षाओं की श्रृंखला में विभिन्न सुधार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सुधारों का उद्देश्य क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने त्रुटिहीन प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्यों से समर्थन मांगा है/प्राप्त किया है;

(घ) छात्रों की पसंद के केंद्र आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु प्रभावी उपाय देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व इसरो अध्यक्ष और अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलसीई) का गठन किया। इस समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एनटीए को मजबूत करने, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि सहित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में सुधार की सिफारिश की है।

शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए परीक्षाओं के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से राज्य मशीनरी के सहयोग के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा है।

एचएलसीई ने पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) और कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) दोनों परीक्षाओं में उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय बताए हैं और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की सिफारिश की है। परिभाषित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रश्न पत्र सेटिंग और जांच के लिए दिशा-निर्देशों की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा, अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त, एचएलसीई ने छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटन के किसी भी असामान्य पैटर्न को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन नीति पर विस्तृत रूपरेखा विकसित करने के लिए कहा है। समिति ने एनटीए पर एचएलसीई की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय संचालन समिति के गठन की भी सिफारिश की, जिसका गठन मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2024 को किया गया है ।

*****